केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, अहमदाबाद

बनाम

मैसर्स सुस्मा टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड

5 मई, 2004

[राजेन्द्र बाबू, सीजे. और जी.पी. माथुर, जे.]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985-शुल्क शीर्षक संख्या 52.06-स्टार्च गोंद और अकार्बनिक भराव के साथ कड़े और भारी आकार के सूती कपड़े-शीर्षक 59.01 के अधीन 'बुकरम' के रूप में वर्गीकरण- निर्धारित: कपडे जो भराई की प्रक्रिया से गुजरें है जिसमें कपड़े की सतह पर प्राकृतिक स्टार्च लगाया जाता है और कपड़ा स्थायी या टिकाऊ प्रकृति का कड़ापन दर्शित नहीं करता और भारी आकार का कपड़ा नहीं है-इसलिए शीर्षक 59.01 के अधीन वर्गीकरण योग्य नहीं है परन्तु शीर्षक 52.06 के अधीन है।

उत्तरदाता स्टार्च गोंद और अकार्बनिक भराव के साथ कड़े और भारी आकार के सूती कपड़ों के निर्माण में लगे हुए थे। उत्तरदाता ने इस उत्पाद को शीर्षक 59.06 के तहत वर्गीकृत किया क्योंकि यह ब्लीचिंग और

परिष्करण की प्रक्रिया के अधीन था। अपीलकर्ता उत्पाद शुल्क विभाग ने रिपोर्ट के आधार पर इस उत्पाद को शीर्षक 49.01 के तहत वर्गीकृत किया है कि नमूना खुले बुने हुए सूती कपड़ों के रूप में है जो भारी आकार के हैं और स्टार्च गोंद और अकार्बनिक भराव के साथ कड़े रहते है तथा गर्म पानी के साथ उपचार करने पर कपड़े अपना सारा कड़ापन खो देते हैं। विभाग ने विभेदक शुल्क की मांग करते हुए उत्तरदाताओं को कारण दर्शित सूचना जारी की। हालाँकि, सहायक आयुक्त ने निर्धारित किया कि सूती कपड़े शीर्षक 52.06 के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किए गए थे और उठाई गई मांग को हटा दिया। अपील में कलेक्टर (अपील) ने निर्धारित किया कि यह प्रश्नगत उत्पाद विनिर्दिष्ट रूप से शीर्षक 59.01 के अधीन आच्छादित होता है, जो कि कड़े टेक्सटाइल कपड़ों के लिए शुल्क प्रविष्ठि है। हालांकि, न्यायाधिकरण ने निर्धारित किया कि सूती कपड़े यद्यपि भारी आकार के होते है परन्तु उनमें स्थायी कड़ापन नहीं होता है जिससे कि उन्हें 'बुकरम' के समान माना जाये, इस तरह यह अधिनियम के शीर्षक 52.06 के अधीन वर्गीकरण योग्य है, ना कि शीर्षक 59.01 में। इसलिए वर्तमान अपीलें हैं।

अपीलार्थी-उत्पाद शुल्क विभाग ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण स्थायी कड़ेपन के विवाद के आधार पर गया है और अन्य पहलू जैसे कि

प्रश्नगत कपड़ा आकार में भारी है अथवा नहीं, इसका निपटान नहीं किया है।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि कड़ापन जैसा कि अध्याय 59 के अधीन विचारित है, स्थायी और टिकाऊ प्रकृति का होना चाहिए जैसे 'बुकरम' एक कपड़ा है जिसमें स्थायी कड़ापन होता है।

अपीलों को खारिज करते हुए अदालत ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. सूती कपड़े के वर्गीकरण के लिए, स्टार्च गोंद और अकार्बनिक भराव कड़ा और भारी आकार उत्तरदाताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1985 के शीर्षक 59.01 के अधीन विनिर्माण के लिए जिन शर्तों को पूरा किया जाना है उनके मुताबिक कपड़ा एक कड़ा कपड़ा हो; यह कड़ापन स्थायी और टिकाऊ प्रकृति का हो; और यह कि कपड़ा भारी आकार का हो [174-ई-एफ]

1.2 इस मामले में, न्यायाधिकरण ने पाया कि उत्तरदाताओं के कपड़े में स्थायी या टिकाऊ कठोरता नहीं है, जो सामान्य रूप से समझी जाने वाली परिभाषा के अनुसार और जैसा कि आधिकारिक पाठ्यपुस्तकों में संदर्भित है, एक कपड़े को 'बुकरम' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, रासायनिक परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट स्वयं

इंगित करती है कि उत्तरदाताओं के कपडे को जिस प्रक्रिया से गुजारा गया है वह केवल भराई की है और उसमें स्थायी प्रकृति का टिकाऊपन और कड़ापन दिखायी नहीं देता है। इसलिए, एक कपड़ा, जिसके पाश्र्व पर प्राकृतिक स्टार्च लगाकर भराई की प्रक्रिया से गुजारा गया हो, उसे 'बुकरम' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। [174-जी-एच; 175-ए; 174-जी]

1.3 जब कई अवयवों को संतुष्ट करना होता है, भले ही एक घटक संतुष्ट न हो, अर्थात, कड़ापन, स्थायी और टिकाऊ प्रकृति का होनी चाहिए, न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है और वर्तमान में किन्ही भी मामलों में वहां कोई भारी आकार का कपड़ा नहीं है। इस प्रकार, भारी आकार के कपड़े के सवाल पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रतिप्रेषण हेतु ये उपयुक्त मामले नहीं हैं। [175-बी-सी]

कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, औरंगाबाद बनाम सोलापुर जिला विनकर सहकारी संघ (1998) 104 ईएलटी 402, संदर्भित।

टेक्सटाइल का शब्दकोष द्वारा फेयरचाइल्ड, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1081/1998

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सोना (नियंत्रण), अपीलीय न्यायाधिकरण, मुम्बई स्थित पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ के ए. नम्बर ई/917/91-एसबी (डबल्यूआर) में एफ.ओ. नम्बर 5123/97/डबल्यूआरबी में के निर्णय व आदेश दिनांक 21.11.97 से

साथ

सी.ए. संख्याएं 8559/97, 1052, 5010/98, 3649, 3707, 4223/99, 5557, 6976/2001 व 8973/2003

आर.पी. भट्ट, श्रीमती निशा बागची, सुश्री स्मिता इन्ना, बी.कृष्णा प्रसाद, के.सी. कौशिक, एम.एन. श्रॉफ, सी.एम. श्रॉफ, वी. लक्ष्मी कुमारन, आलोक यादव, माधव राव, विश्वनाथ शुक्ला, वी. बालचन्द्रन, दर्पण वाधवा, संदीप मित्तल, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, रमेश सिंह, सुश्री बीना गुप्ता, श्रीमती वनिता भार्गव, सुश्री नीना गुप्ता, राजेन्द्र सिंघवी, अशोक कुमार सिंह व राजेश कुमार उपस्थित पक्षकारान की ओर से

अदालत का निर्णय सुनाया गया द्वारा

राजेन्द्र बाबू, सीजे.:

मामलों के इस समूह में विचार के लिए जो प्रश्न है वह ब्लीच्ड शीटिंग के वर्गीकरण के बारे में है जो भारी आकार की है और जो प्रत्येक उत्तरदाता के द्वारा विनिर्मित की जाती है तथा क्या यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम') के शीर्षक 52.06 के तहत आती है अथवा शीर्षक 59.01 के अधीन आती है, जैसा कि उनके द्वारा चाहा गया है।

उत्तरदाता सूती कपड़ों के निर्माण में लगे हुए हैं जो स्टार्च गोंद और अकार्बनिक भराव के साथ कड़े और भारी आकार के होते हैं। अपने उत्पाद के ब्लीचिंग और फिनिशिंग की प्रक्रिया के अधीन होने की घोषणा द्वारा उत्तरदाताओं ने इस उत्पाद को शीर्षक 52.06 के तहत वर्गीकृत किया। हालांकि, बाद में, जब विभाग ने उत्तरदाताओं की इकाई का निरीक्षण किया, तो उन्होंने सोचा कि प्रश्नगत उत्पाद को शीर्षक 59.01 के तहत वर्गीकृत करना होगा। उत्पाद का नमूना परीक्षण के लिए लिया गया था और उसकी रिपोर्ट यह है कि नमूना स्टार्च गोंद और अकार्बनिक भराव के साथ भारी आकार और कठोर खुले बुने हुए सूती कपड़ों के रूप में है, जो गर्म पानी के साथ उपचारित करने पर कपड़े अपनी सारी कठोरता खो देते हैं। इस सामग्री पर, उत्तरदाताओं को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न अवधियों के लिए अलग-अलग शुल्क की मांग की गई

थी। सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने दिनांक 16.8.1989 को दिए गए अपने आदेश से कारण बताओ नोटिस में उठाई गई मांग को यह कहते हुए वापस ले लिया कि यह सूती कपडे शीर्षक 52.06 में वर्गीकृत किये गये है एवं तदनुसार दो वर्गीकृत सूचियां अनुमोदित की।

मामले को अपील में कलेक्टर (अपील) के समक्ष ले जाया गया, जिन्होंने अपील स्वीकार की और शुल्क की मांग की पुष्टि करते हुए निर्धारित किया कि प्रश्नगत उत्पाद विनिर्दिष्ट रूप से शीर्षक 59.01 के तहत आच्छादित है, जो कि कड़े टेक्सटाइल कपड़ों के लिए एक विनिर्दिष्ट शुल्क प्रविष्टि प्रावधानित करता है। इस मामले को आगे सीईजीएटी में ले जाया गया। न्यायाधिकरण ने निर्धारित किया कि सूती कपड़े हालांकि भारी आकार के होते हैं, लेकिन उनमें स्थायी कठोरता नहीं होती है, जिससे उन्हें 'बुकरम' के समान माना जाये और तदनुसार उनको शीर्षक 52.06 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि अधिनियम के शीर्षक 59.01 के तहत। इसलिए ये अपीले हुई।

हालाँकि, हम देख सकते हैं कि कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, 1 औरंगाबाद बनाम सोलापुर जिला विनकर सहकारी संघ, (1998) (104) ईएलटी 402 में, न्यायाधिकरण ने निर्धारित किया है कि आमतौर पर कपड़ों के अंदरूनी हिस्सों में उपयोग किए जाने वाले कठोर कपड़ों को

टोपिओका स्टार्च, मक्का स्टार्च, फ्रेंच चॉक पावर और डेलोमिट्स लगाकर ब्लीच और ग्रे शीटिंग में संसाधित किया जाता है, जो कपड़ों को सख्त प्रभाव प्रदान करते हैं, अधिनियम के शीर्षक 52.06 के तहत वर्गीकृत किये जाने योग्य है न कि शीर्षक 59.01 के अधीन। इस मामले को सिविल अपील संख्या 3965/1998 में इस न्यायालय में उठाया गया था और जिसे इस न्यायालय ने 22.2.1999 को विलम्ब और गुण-दोष दोनों के आधार पर इसे खारिज कर दिया।

राजस्व ने तर्क दिया:

1. शीर्षक 59.01 के विनिर्दिष्ट विवरण अर्थात अमाईलेशियस पदार्थों के एक प्रकार जो पुस्तक के बाहरी आवरण में प्रयुक्त होते है, की गोंद के साथ लेपित टेक्सटाइल कपडे या उसी समान तरह के जिनकी इस मामले में संतुष्टि होती है।

2. एचएसएन की व्याख्यात्मक टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है कि न केवल कपड़ा, सादे बुनाई वाले बुने हुए कपड़े, आमतौर पर सूती, लिनन या मानव निर्मित गोंद या एमिलेशियस पदार्थों के साथ भारी रूप से लेपित होते हैं, जिनका उपयोग पुस्तक बाइंडिंग के लिए किया जाता है, बल्कि ऐसे अन्य अंतिम उपयोग वाले कपड़े भी इस शीर्षक के अधीन आच्छादित होंगे।

न्यायाधिकरण ने यह निर्धारित किया कि बोर्ड ने 2.9.1988 को जारी अपने निर्देशों द्वारा स्पष्ट किया था कि शीर्षक 59.03 के तहत ऐसे उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए, टेक्सटाइल कपड़ों की एक सतत और चिपकी हुई परत होनी चाहिये या कपड़े की सतह की तरफ की परत और कपड़ा अभेद्य होना चाहिए और उसे अध्याय 59 के टिप्पण 2 में विहित शर्तों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 7.12.1989 को जारी पत्र का भी उल्लेख किया, जिसमें यह पुष्टि की गई थी कि उनके द्वारा निर्मित ब्लीच्ड और आकारित सूती कपड़े अध्याय 52 के अधीन वर्गीकृत होते है क्योंकि ये कपड़े न तो लेपित थे और न ही संसेचित थे, परन्तु ये केवल स्टार्च के साथ आकारित थे। राजस्व की ओर से, न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत तर्क यह है कि 'बुकरम और इसी तरह के कठोर टेक्सटाइल कपड़े की अभिव्यक्ति का दायरा कोटिंग से संबंधित शीर्षक के पहले भाग के संदर्भ तक सीमित नहीं किया जा सकता है और इसका सामान्य तरीके से निर्वचन किया जाना चाहिए और यदि कड़े कपड़े बुकरम, ट्रेसिंग क्लॉथ, बुक बाइंडिंग क्लॉथ आदि के समान हैं, तो इसे उचित रूप से उप-शीर्षक 5901 द्वारा आच्छादित किए गए कड़े कपड़े के रूप में माना जाएगा क्योंकि प्रसंस्कृत कपड़ों का सामान्य शीर्षक उप-शीर्षक 5206 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, पुस्तक बाइंडिंग क्लॉथ बुकरम और समान टेक्सटाइल कपड़े की अभिव्यक्ति जो उप शीर्षक 5901 में है से

आच्छादित होगा। न्यायाधिकरण के समक्ष कई पाठ्य पुस्तकों और शब्दकोशों का भी उल्लेख किया गया था। राजस्व की ओर से दी गई सभी दलीलों को आंकलिति की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने खण्डित कर दिया और न्यायाधिकरण के समक्ष विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए गए कि प्रश्नगत उत्पाद 'बुकरम' नहीं है या 'बुकरम' के समान कुछ नहीं है, क्योंकि बुकरम स्थायी रूप से कड़े कपड़े को संदर्भित किया जाता है और एक बार जब सूती कपड़ों के अंर्ततंतुओं को गोंद से भरा और उपचारित किया जाता है, तब यह अकेले अध्याय 59 के अंतर्गत आएगा और वर्तमान मामलों में वस्तु छिद्रपूर्ण गद्दीदार है और अंर्ततंतु भरे हुए नहीं हैं और इसलिए यह उत्पाद किसी भी सूरत में अध्याय 59 के अधीन नहीं जा सकता है। न्यायाधिकरण ने सबसे पहले अपील की पोषणीयता को और उसके बाद मामले के गुण-दोष पर ध्यान दिया। न्यायाधिकरण इस आधार पर आगे बढ़ा कि वर्गीकरण का बोझ विभाग पर है और विभाग द्वारा यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है कि उत्पाद 'बुकरम' है और इसे अध्याय 59 के अधीन वर्गीकृत करना अपेक्षित है और शीर्षक 59.01 की व्याख्यात्मक टिप्पणी 4 इंगित करती है कि 'बुकरम' और उसके समान कड़े टेक्सटाइल कपडे उस आधार के लिए प्रयुक्त इसी शीर्षक के अधीन आयेंगे। एक संकेत यह भी है कि 'बुकरम' की कुछ किस्में और ऐसे कड़े कपड़ों को एक साथ चिपकाकर बनाए गए समान कपड़े हैं और मुख्य रूप से हेडिंग

65.07 की टोपी के आधार के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं, वे भी इस शीर्षक के अंतर्गत आते हैं और जो टेक्सटाइल कपड़े गोंद व एक तरह के अमाइलेशियस पदार्थ जिनका उपयोग किताबों या उस जैसी चीजों को कागज से ढंकने के लिए किया जाता है, ट्रेसिंग क्लॉथ, तैयार बाइंडिंग 'बुकरम' और एक प्रकार के समान कड़े टेक्सटाइल कपड़े जो टोपी के आधार बनाने में प्रयुक्त होते इस शीर्षक के अधीन आच्छादित होंगे। डिक्शनरी ऑफ टेक्सटाइल्स में कुछ परिभाषाओं के उल्लेख के बाद यह माना गया कि एक संसेचित कपड़ा वह है जिसमें धागों के बीच के अंतराल को सामग्री की पूरी मोटाई में संसेचन यौगिक से भरा जाना चाहिए। 'बुकरम' और लाइब्रेरी बुकरम की परिभाषा से भी यह संकेत मिलता है कि यह भारी आकार का है। आकार की परिभाषा इंगित करती है कि यह यौगिकों के लिए एक सामान्य शब्द है जब इसे धागों या कपड़े पर लागू किया जाता है तो धागों और व्यष्टि रेशों के चारों ओर कम या ज्यादा निरंतर ठोस परत बनती है। रासायनिक परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आठ नमूनों में से प्रत्येक नमूने स्टार्च के साथ आकारित खुले बुने हुए ब्लीच्ड सूती कपड़ों के रूप में हैं और प्रत्येक कुछ हद तक दिखावटी है। गर्म पानी से उपचार करने पर प्रत्येक अपने कड़ेपन को खो देता हैै। धागों के बीच के अंतराल बंद नहीं थे। प्रत्येक मामले में कपड़ों से निकाले गए धागों के आधार पर निर्धारित कुल संख्या 51 से कम है। इसलिए, परीक्षण परिणाम

इंगित करता है कि इन मामलों में अंर्ततंतु भरे हुए नहीं हैं और कोई स्थायी कठोरता नहीं है। शीर्षक 59 की आवश्यकता स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि टेक्सटाइल कपड़े को कड़ा होना चाहिए और जिन परिभाषाओं पर राजस्व द्वारा भरोसा किया गया है, वे इंगित करती हैं कि आकार भारी होना चाहिए और अंतराल को भरा जाना होगा और कठोरता को स्थायी होना होगा; परीक्षण के परिणाम विभाग के मामले का समर्थन नहीं करते हैं और यह भी कि वहां कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष नहीं है कि सामग्री 'बुकरम' है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को जारी शुल्क सलाह संख्या 36.84 दिनांक 27.7.1984 का भी उल्लेख किया, जो दर्शाता है कि छूट का उद्देश्य ऐसे कपड़ों को आच्छादित करना है जो आकार (कड़ापन) और चमक के अस्थायी प्रभाव को प्राप्त करने के लिए उपचारित किये गये और गीला करने वाले एजेंटों, ऑप्टिकल व्हाइटनर, वसा युक्त सामग्री और फिलर्स को जोड़ने का उद्देश्य केवल पैडिंग प्रक्रिया में मदद करना है ताकि आकारित कपड़ों को अस्थायी चमक दी जा सके, कपड़े पर छूट गई स्टार्चयुक्त परत को नरम किया जा सके और बेहतर और साफ रूप दिया जा सके। हालाँकि, जब स्टार्च धोया जाता है तो ये योजक कपड़े से निकल जाते हैं। इस सामग्री के आधार पर, न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण स्थायी कठोरता के मुद्दे के आधार पर गया है और अन्य पहलू कि प्रश्नगत कपड़ा भारी आकार का है या नहीं इस पर विचार नहीं किया है।

शीर्षक 59.01 इस प्रकार पठित है:

''गोंद से या अमाइलेशियस पदार्थों से लेपित टेक्सटाइल कपड़े, किताबों के बाहरी कवर या उसके समान के लिए उपयोग किए जाने वाले कपड़े, ट्रेसिंग कपड़ा, तैयार पेंटिंग कैनवास, बुकरम और इसी तरह के कठोर टेक्सटाइल कपड़े।''

फेयरचाइल्ड्स डिक्शनरी ऑफ टेक्सटाइल्स में, जो इस मामले पर एक प्राधिकृत पाठ्य पुस्तक है, बताती है कि बुकरम का क्या अर्थ है:

''एक सादा बुना, मोटा, भारी आकार का खुला कपड़ा और मुख्य रूप से कड़ेपन के रूप में उपयोग किया जाता है जिसे परिधान के अस्तर और सतह के कपड़े के बीच रखा जाता है ताकि इसे आकार या रूप दिया जा सके। इसका उपयोग टोपी के आकार, पुस्तक बाइंडिंग आदि के लिए भी किया जाता है। कपास, लिनन, भांग, बाल आदि से बना। दो खुले बुने, आकारित सूती कपड़ों को एक साथ चिपकाकर बनाया गया।

आमतौर पर सफेद या सादे रंग। लाइब्रेरी बुकरम भी देखें। 2. मूल रूप से बोखारा, दक्षिणी रूस से एक महंगी सामग्री। बाद में, 16 वीं शताब्दी का एक समृद्ध अंग्रेजी ऊनी कपड़ा जो गिरजाघर के परिधानों के लिए इस्तेमाल किया गया

''एक भारी चपटा बत्तख या ओस्नाबर्ग, कठोर और टिकाऊ स्टार्च से भरा या पाइरोक्सिलिन से उपचारित और एक चर्मपत्र, लिनन जैसा परिष्करण प्राप्त। विशेष रूप से पुस्तकालय और संदर्भ पुस्तकों पर उपयोग किया जाता है।''

विभाग को अधिनियम के शीर्ष 59.01 के अंतर्गत आने वाले उत्तरदाताओं के उत्पादों को वर्गीकृत करने में सफल होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

1. यह कि प्रश्नगत कपड़ा एक कड़ा कपड़ा है।

2. यह कि कड़ापन प्रकृति में टिकाऊ और स्थायी होना चाहिए।

3. यह कि कपड़ा भारी आकार का है।

उत्तरदाताओं का यह रुख है कि अध्याय 59 के तहत जिस कठोरता पर विचार किया गया है वह स्थायी या टिकाऊ प्रकृति की होनी चाहिए

क्योंकि 'बुकरम' एक ऐसा कपड़ा है जिसमें स्थायी कठोरता होती है। एक कपड़ा, जिसकी सतह पर प्राकृतिक स्टार्च लगाकर पैडिंग की प्रक्रिया से गुजारा गया हो, उसे 'बुकरम' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने यह पाया है कि उत्तरदाताओं के कपड़े में स्थायी या टिकाऊ कड़ापन नहीं है जो कि सामान्य रूप से समझी जाने वाली परिभाषा और आधिकारिक पाठ्य पुस्तकों में संदर्भित परिभाषा के अनुसार किसी कपड़े को 'बुकरम' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक है। रासायनिक परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट, जिस पर विभाग स्वयं निर्भर रहा है, इंगित करती है कि उत्तरदाताओं के कपड़े द्वारा की गई प्रक्रिया केवल पैडिंग की है और यह स्थायी प्रकृति का कोई कड़ापन दर्शित नहीं करती है।

जहां कई अवयवों को संतुष्ट करना होता है, भले ही एक घटक संतुष्ट नहीं है, जैसे कि कड़ापन स्थायी और टिकाऊ प्रकृति का होना चाहिए, हमें नहीं लगता कि न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण हमारे हाथों द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग करता है। इसके अलावा, हम देख सकते हैं कि वर्तमान में शामिल किसी भी मामले में, हमारे पास कोई भारी आकार का कपड़ा नहीं है। इसलिए, वह पहलू हमें नहीं रोकता है।

इन परिस्थितियों में, हमें नहीं लगता कि ये उपयुक्त प्रकरण हैं जहां हमें भारी आकार के कपड़े के सवाल पर नए सिरे से विचार के लिए मामले

को प्रतिप्रेषण हेतु भेजना चाहिए। हम न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं और इन अपीलों को खारिज करते हैं।

एन.जे. अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अमित कुमार कड़वासरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।